विचार बिन्दु

मैं ही आग हूँ, मैं ही कूड़ा-करकट। अगर मेरी आग कूड़ा-करकट जलाकर भस्म कर दे तो मैं अच्छा जीवन पाउँगा। –खलील जिब्रान

रेवड़ियां बांटना, वोट मांगना व वायदा करना लोकतंत्र के लिये अभिशाप है

आप (AAP) सरकार यानी सी एस आतिशी और आप संयोजक केजरीवाल की दो याजनायें, एक है 'महिला सम्मान योजना' है, जिसके माध्यम से 18 वर्ष अधिक की आयु की महिलाओं को 1000/- रूपये प्रति माह देने की घोषणा है और केजरीवाल ने गारण्टी दी है कि उनकी सरकार बनी तो 2100/- रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। दूसरी योजना का नाम है 'संजीवनी योजना' जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज व मुफ्त परीक्षण प्राप्त होगा। दिल्ली विस चुनाव से पहले ये दोनों योजनायें प्रचारित हुई हैं।

महिला सम्मान योजना के कारण सियासी घमासान तेज हो गया है। राजनीति में भूचाल आ गया है। इस योजना के कारण एलजी वी के सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिये हैं। उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्य सचिव व पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर योजना के नाम पर गैर सरकारी लोगों द्वारा जनता का डेटा इकट्ठा करने की जांच व कानून के अनुसार कार्यवाही के आदेश दिये हैं। इसके अतिरिक्त एलजी के प्रधान सचिव ने पंजाब से कैश ट्रान्सफर के आरोपी की भी जांच के निर्देश दिये हैं तथा कांग्रेस के सम्भावित उम्मीदवारों के घर पर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की मौजूदगी के आरोप की भी जांच के निर्देश दिये हैं।

जांच की रिपोर्ट 3 दिन में पुलिस से मांगी गई है।

एलजी ने दिल्ली के सीएम को इस प्रकरण को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाने को कहा गया है, क्योंकि इनका प्रचार चुनाव से पूर्व हो रहा है। इस प्रकार का आदेश वस्तुत: कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर हुआ है। यहां यह लिखना भी समीचीन प्रतीत होता है कि एलजी ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही हो जो लाभ दिलाने के नाम पर नागरिकों के व्यक्तिगत विवरण ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना गोपनीयता का उल्लंघन है।

कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों ने आप की इस योजना पर कई प्रश्न उठाये हैं। दिल्ली के अफसरों ने अखबार में विज्ञापन देकर कहा है कि दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।

अरविन्द केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर एलजी पर आरोप लगाया है और अपने स्वयं पर आरोपों का उत्तर दिया है। उन्होंने कहा हमने कहा था कि महिला सम्मान योजना में 2100/- रूपये हर महीने देंगे। केबिनेट ने 1000/-रूपये देने की योजना पास की थी। उनकी दूसरी योजना बुजुर्गों को फ्री इलाज की थी।

केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी व उनकी योजनाओं के कारण भाजपा घबरा गई है। उनकी नींद उड गई है। बीजेपी समझ चुकी है कि वह तो हारने वाली है भाजपा की 3-4 सीटों से अधिक सीटें नहीं आयेंगी। अत: उसका यह इरादा है कि आप की सभी जन हितेषी योजनाओं को वे बंद करा देना चाहते हैं। भाजपा उनकी महिला सम्मान योजना, फ्री बस सेवा, फ्री बिजली-पानी योजना आदि बंद कराना चाहती है। आरोप है कि भाजपा तो आप की सभी योजनाओं को बंद कराना चाहती है। केजरीवाल मानते हैं कि उनकी योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ हुआ है।

संदीप दीक्षित नेता कांग्रेस का कहना है कि वे तो सत्य के साथ खडे हैं। पैसे देकर वोट मांगना चुनाव कानूनों में अपराध है और यों भी लोकतंत्र के लिये यह अभिश्राप है।

एक और घटना चक्र है, जहां प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100/-रूपये दे रहे हैं। उनका कहना है उनके पास गरीबों की सहायता करने का फण्ड है, उसका कोई संबंध किसी राजनैतिक पार्टी से नहीं है। हां, वे भाजपा के पक्ष के व्यक्ति हैं। पर्चे पर भाजपा के नेताओं का नाम हैं पैसा वास्तव में वोट देने के हेतु ऐसा कहा जा रहा है। एक अन्य घटना का भी यहां उल्लेख करना उचित होगा कि केजरीवाल कांग्रेस से कहते हैं माखन को निकालो नहीं तो 'आप' इण्डिया बन्धन से अलग हो जावेगी। यह स्पष्ट करता है केजरीवाल व राहुल में आमने सामने की लड़ाई है।

केजरीवाल की पार्टी आप कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस को फण्ड दे रही है। आरोप है कि केजरीवाल की महत्वाकांक्षा है कि वे अपने को मोदी का विकल्प समझते हैं।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर चुनाव होने से पहले पंजाब से बडी मात्रा में नकदी लाने का आरोप लगाया है। संदीप दीक्षित ही का आरोप है कि उसके आवास के बाहर पंजाब सरकार के खुफायाओं की शक्लें देखी गई हैं।

यह भी आरोप है कि आप के लोग लाभ देने के आड में नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित कर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं अत: इसकी पूरी सम्भावना है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

यहां प्रश्न है क्या यह योजना केजरीवाल जी की व्यक्तिगत है अथवा आम आदमी पार्टी (आप) की? अथवा सरकारी स्वीकृति से है यह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली की सीएम इस बाबत मौन हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि वे पैसे की कमी नहीं आने देंगे। क्या इससे यह मान लेना चाहिये कि उनकी स्थिति जामिन की है। बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है वे फ्रीबीज देने हेतु वायदा ही करते हैं, देते नहीं हैं।

राजनीति में चर्चा है कि पंजाब में केजरीवाल की पार्टी ने वायदों के अनुसार पेमेन्ट नहीं किया। अत: अन्य राजनीतिक पार्टियां कहती है कि उन पर भरोसा करना कठिन है। केजरीवाल की पार्टी ने इमामों को वेतन देने का वायदा किया था; किन्तु 17 माह से पेमेन्ट नहीं किया। केजरीवाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी योजना है कि 'पुजारी-ग्रन्थी सम्मान' की राशि रूपये 18000/- प्रतिमाह दी जावे। उनका आरोप है कि बीजेपी इस योजना को रोकना चाहती है। दिनांक 31.12.2024 से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है। यह राशि चुनाव में जीतने के बाद प्रतिमाह दी जावेगी। यहां प्रश्न है क्या यह योजना केजरीवाल जी की व्यक्तिगत है अथवा आम आदमी पार्टी (आप) की? अथवा सरकारी स्वीकृति से है यह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली की सीएम इस बाबत मौन हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि वे पैसे की कमी नहीं आने देंगे। क्या इससे यह मान लेना चाहिये कि उनकी स्थिति जामिन की है। बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है वे फ्रीबीज देने हेतु वायदा ही करते हैं, देते नहीं हैं। केजरीवाल जी ने फ्रीबीज की पोटली खोल दी है। वे रिक्शा चालकों का बीमा करायेंगे, लडकियों की शादी में सहयोग देंगे तथा दलित छात्रों को शिक्षा हेतु विदेश भेजेंगे। जनता हित में यदि हो तो अवश्य करें। आपत्ति यह है कि फ्रीबीज की घोषणायें चुनाव के समय ही क्यों होती हैं?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसे साधारण भाषा में चुनाव कानून कहते हैं, उसके प्रावधानों के अनुसार पैसे देकर वोट लेना अपराध है। पैसे से वोट खरीदना अनैतिक आचरण है, क्योंकि हम लोकतंत्र के नागरिक हैं और संविधान के अनुच्छेद 51क में दिये गये कर्त्तव्यों की पालना करना हमारा पावन कर्त्तव्य है। पैसे देकर वोट खरीदना चुनावी दुराचरण है और इस कारण यदि चुनाव का रिजल्ट प्रभावित हुआ है तो चुनाव निरस्त भी हो सकता है। चुनाव कानून 1951 की धारा 123 में चुनावों से संबंधित अपराध आते हैं।

धारा 123 में Bribe (रिश्वत) को परिभाषित किया गया है वह संक्षेप में इस प्रकार है:-

"कोई उम्मीदवार, उसका एजेन्ट या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति, किसी व्यक्ति को वोट देने या न देने के हेतु प्रभावित करने हेतु उपकार या वायदा जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रेरित करना हो किसी निर्वाचक को चुनाव में मतदान करने या न करने के लिये परहेज करने के लिये।"

यदि कानूनी रूप से इस प्रावधान की व्याख्या की जावे तो रेवडी बांटना, वायदा करना और वोट मांगना यह चुनावी अपराध है और अनैतिक आचरण है। कानून के लोग यह मानते हैं कि वायदा पूरा न करने पर सजा होनी चाहिये। कुछ मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर फ्रीबीज को चुनाव निरस्त करने का कारण मानना चाहिये। मुफ्त की रेवडी बांटकर देश को खोखला किया जा रहा है। प्रारम्भ में जब कानून बना था वोट की चोरी होती थी, चोरी छिपे पैसा दिया जाता था, किन्तु अब तो पकड़े जाने पर शर्म भी नहीं आती।

अभी तक 'आप' के अतिरिक्त किसी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। यहां उम्मीदवार का नाम जिसके लिये वोट अपेक्षित हैं, स्पष्ट है। जनता अपील करती है रेवडियां बांटना बंद हो। चुनाव Fair व Free हों।

बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल रेवडी बांटने में माहिर हैं, वे वायदे करने में भी सिद्धहस्त हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां यदि उनके पद चिन्हों पर न चले तो अच्छा होगा। देश हित में होगा। जनता सब समझती है। जनता सभी रेवडी बांटने (फ्रीबीज) वाले से पूछना चाहती है, आप फ्रीबीज दे रहे हैं परन्तु समझाओ पैसा कहां से लायेंगे, वायदे की गारण्टी पूरा करने के लिये आपके पास अपनी प्रोपर्टी कहां है? क्या सरकारी खजाने से पेमेन्ट करेंगे?

जनता केजरीवाल से पूछना चाहती है, आप यह वायदा राज्य की मुख्यमंत्री से क्यों नहीं करवाते? वे जानते हैं यदि मुख्यमंत्री पुजारी-ग्रन्थी, टीचर्च, इमाम से वायदा करती है, यह जानते हुये कि सरकार की पूंजी की वे ट्रस्टी हैं तो सम्भवत: यह केस Fraud (धोखे) का बन सकता है। धोखा जिसे पूर्व कानून में 420 कहा गया था।

जैसा ऊपर लिखा कि एलजी ने जांच की रिपोर्ट पुलिस से मांगी थी। रिपोर्ट पोजिटिव आई है। केस चलेगा। वह सब कुछ वही होगा, जो न्याय संगत होगा।

फ्रीबीज की प्रेक्टिस वह भी चुनाव के समय, कानून बनाकर प्रतिबंधित की जानी चाहिये। देने वाले को चुनाव लड़ने से Disqualify किया जावे।

चुनाव Fair व Free हो जनता की पुकार है।

भारत के लोकतंत्र की जय हो!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला और जीआई-टैग

डॉ. अरुणा व्यास

कुछ दिन पहले जवाहर कला केन्द्र में राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला-2024 का आयोजन हुआ। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कोई दौसौ से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद प्रदर्शित हुए। देशभर के प्रांतों के हस्तशिल्प, हुनर उत्पाद और वस्त्र आदि का प्रदर्शन इस दौरान हुआ।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित मेला ठाामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। मेले में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक हस्तशिल्प, हैंडलूम, खाद्य उत्पाद, और उन्नत तकनीकी उत्पादों को देखकर यह भी अनुभूत हुआ कि हरेक राज्य की अपनी विशेषता, रहन-सहन, खान-पान और हस्तशिल्प उत्पाद है। मेले में विभिन्न राज्यों की महिला स्वयंसहायता समूह द्वारा प्रदर्शित उत्पादों की मुख्य थीम इस बार जीआई-टैग उत्पाद रही। ग्रामीण क्षेत्रों और हुनर से जुड़े विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई-टैग की सोच बहुत महत्वपूर्ण है। जीआई टैग का अर्थ है उत्पाद की भौगोलिकता के बारे में पता चलना।

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य के रूप में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत के लिए जीआई टैग की शुरूआत की। यह उत्पाद के स्थान विशेष पर ही उत्पादित होने की बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है। यह असल में संकेतक है, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले वस्तुओं और उत्पादों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है। पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया और यह भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेत का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्त्व हैं। यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान है। एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ठाहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।

किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। जीआई टैग असल में "ऐसी पहचान है जो किसी वस्तु को उसके उत्पादक सदस्य के क्षेत्र या उस क्षेत्र में किसी क्षेत्र या इलाके में उत्पन्न होने के रूप में पहचानते हैं। जहां वस्तु की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक मूल के कारण होती है। जीआई टैग अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत लोगों के अलावा किसी और को लोकप्रिय उत्पाद का नाम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है। इसका बड़ा उदाहरण है-दार्जिलिंग चाय।"

जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय रहा है। दार्जिलिंग टी (चाय) को 2004 में पहला जीआई टैग मिला। दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर के ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी, बीकानेर के भूजिया-पापड़, बासमती चावल, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी आदि बहुत से उत्पादों को उनके स्थान के नाम से जाना जाता है। चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावुर पेंटिंग, कश्मीर केसर और कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी आदि जीआई टैग लिए हैं। उत्पादक के हितों के संरक्षण के साथ ही यह उपभोक्ता को भी शुद्ध उत्पाद, जहां यह होता है-उसकी गारन्टी देता है।

जीआई टैग पाने के लिए, कोई भी व्यक्ति, संगठन या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वैध संगठन आवेदन कर सकता है। इसके अंतर्गत उत्पाद या सामान पंजीकरण की उचित प्रक्रिया है। इसमें आवेदन दाखिल करना, प्रारंभिक जाँच और परीक्षा, भौगोलिक संकेत पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण शामिल है। कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ आवेदन कर सकता है। यह जरूरी है कि आवेदक को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। जीआई का पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है। यदि एक पंजीकृत जीआई का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो उसे रजिस्टर से हटाया जा सकता है। ट्रेडमार्क और जीआई में फर्क है। ट्रेडमार्क एक ऐसा संकेत है जिसका उपयोग व्यापार के दौरान किया जाता है और यह एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करता है। जबकि, जीआई एक संकेत है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली खास विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

राजस्थान में इस बार राजसखी मेले के अंतर्गत जिन महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद प्रदर्शित हुए, वह सभी अपने क्षेत्र की विशेषताओं से जुड़े थे। जीआई उत्पादों के एक छत के नीचे भारत भर से अद्वितीय उत्पादों को यहां प्राप्त किया जा सकता था।

–डॉ. अरुणा व्यास,
समसामयिक विषयों की टिप्पणीकार

एक राष्ट्र-एक चुनाव: अवसर और चुनौतियां

राम शर्मा

मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित एक राष्ट्र-एक चुनाव विषयक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गत दिनों पेश कर दिया। ये विधेयक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया। फिलहाल इस बात की संभावना है कि सरकार इसे जेपीसी में भेजे दें। सरकार के लिए यह बिल पास करना चुनौतिपूर्ण होगा, क्यों कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे राज्यों की विधानसभाओं में भी पारित करना होगा। इधर, बिल पेश होते ही राजनीतिक दल अपने अपने नफे नुकसान का जोड़ भाग लगाने लगे हैं। जहां तक एक राष्ट्र- एक चुनाव की अवधारणा की बात है। देश के समक्ष इसके अवसर और चुनौतियां दोनों ही है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं तो विधानसभा चुनाव, फिर शहरी निकायों के चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव। इस प्रकार राजनेता फुल टाइम चुनाव में व्यस्त रहते हैं। सरकारी मशीनरी भी आए दिन आचार संहिता की चपेट में आ जाती है। इसके नाम पर नौकरशाही हावी हो जाती है और आम जनता के जो काम सहजता से हो सकते है, वे भी नहीं हो पाते। इसलिए एक एकीकृत राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रिया पर लंबे समय से विचार हो रहा था। इस एकीकृत चुनाव प्रक्रिया को ही आमतौर पर एक राष्ट्र- एक चुनाव के रूप में जाना जाता है।

एक राष्ट्र- एक चुनाव देश के लिए अवसर और चुनौती दोनों ही है। इसका सबसे बड़ा लाभ आर्थिक बचत है। भारत में नियमित आधार पर चुनाव होने से इस पर बहुत ज्यादा सार्वजनिक धन का व्यय होता है। इन चुनावों को एक साथ कराकर सरकार लाखों करोड़ रुपए बचा सकती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा विकास गतिविधियों की ओर लगाया जा सकता है।

भारत में लगभग हर साल अलग-अलग स्तरों पर चुनाव होते हैं, जिससे मतदाता भी उदासीन हो जाते हैं। मतदाता, उम्मीदवार और राजनीतिक दल अक्सर लगातार प्रचार के चक्र में फंस जाते हैं। एक साथ चुनाव कराने से इस उदासीनता को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनावी गतिविधियाँ अधिक केंद्रित हों और शासन के लिए कम व्यवधानकारी हों। इसके अतिरिक्त, इससे मतदाता मतदान में वृद्धि हो सकती है।

चुनावों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें चुनाव अधिकारी, मतदान केंद्र और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। एक साथ सभी चुनाव कराकर, इन संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। बदले में, यह चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, लोक प्रशासन पर दबाव कम करेगा और चुनाव-संबंधी कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

जब लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो राजनीतिक उतार चढ़ाव में गिरावट आती है। इससे अधिक स्थिर शासन हो सकता है क्योंकि चुनावी जनादेश एकीकृत होते हैं। एक मजबूत राष्ट्रीय जनादेश संभावित रूप से राज्य-स्तरीय नेतृत्व को मजबूत कर सकता है, और इसके विपरीत, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहज समन्वय सुनिश्चित कर सकता है।

राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान: एक साथ चुनाव कराने से, इस बात की अधिक संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे राजनीतिक चर्चा पर हावी होंगे। वर्तमान में, राज्य चुनावों का ध्यान अक्सर क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होता है जो राष्ट्रीय चर्चा के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर व्यापक ध्यान केंन्द्रित होगा। हालांकि कांग्रेस सहित विपक्षी दल इसी बात से चिंतित है कि मतदाता संसदीय और विधानसभा चुनाव में अलग अलग मानसिकता से वोट करता है। एक साथ चुनाव होने से स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, जिसका लाभ अंतत: केन्द्र में सत्तारूढ दल को मिलेगा।

भारत के संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव चक्रों की कल्पना की गई है, और इस ढांचे को संशोधित करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के लिए वहां भी कई कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं, खासकर अगर उन्हें लगता है कि एक साथ चुनाव उनकी स्थानीय राजनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करेंगे।

भारत में अलग-अलग स्थानीय मुद्दों वाले क्षेत्रीय दलों की एक विशाल श्रृंखला है। एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने पर जोर देने से ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं कमजोर हो सकती हैं। मौजूदा व्यवस्था में, राज्य चुनाव छोटे दलों को अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चिंताओं पर हावी हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों के लिए पैर जमाना मुश्किल हो सकता है।

भारत जैसे विशाल देश में, इसकी विविध भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां और जनसंख्या घनत्व के साथ चुनाव आयोजित करना एक जटिल कार्य है। एक साथ चुनाव कराने से मौजूदा बुनियादी ढांचा चरमरा सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के बीच बड़े पैमाने पर योजना और समन्वय की आवश्यकता होगी। भ्रम, त्रुटियां और मतदाता वंचितता की संभावना बढ़ सकती है, खासकर ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ मतदान केंद्रों और सूचना तक पहुँच सीमित है।

मतदाता व्यवहार पर प्रभाव: जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया चुनावी मतदाता की उदासीनता को कम कर सकती है, इससे मतदाता भ्रम में भी पड़ सकता है। अलग-अलग चुनावों में अलग-अलग मतदान प्रणाली होती है (जैसे, लोकसभा चुनावों के लिए फ़र्स्ट-पास-द-पोस्ट और कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए मिश्रित प्रणाली), और एक ही दिन में कई कार्यालयों के लिए मतदान करने की जटिलता मतदाताओं को अलग-थलग कर सकती है, खासकर वे जो राजनीतिक रूप से कम जुड़े हुए हैं। एक राष्ट्रीय चुनाव चक्र बेहतर संसाधनों और संगठनात्मक पहुंच के साथ बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ पहुंचा सकता है, जिससे छोटी क्षेत्रीय और स्थानीय पार्टियां किनारे हो सकती हैं। एक साथ होने वाले चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक एजेंडों पर हावी हो सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कीमत पर उनकी शक्ति और मजबूत हो सकती है।

चुनावों के समन्वय के परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर कम गठबंधन सरकारें हो सकती हैं, क्योंकि मतदाता केंद्र सरकार के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों का पक्ष ले सकते हैं। यह राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विविधता को प्रभावित कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय चिंताओं को अनदेखा या अनदेखा किए जाने पर संभावित राजनीतिक अस्थिरता या शासन संबंधी मुद्दे पैदा हो सकते हैं।

शर्तों और विघटन के साथ कानूनी और तकनीकी चुनौतियां : एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए, लोकसभा चुनावों के साथ समन्वय करने के लिए विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा या बढ़ाया जाना चाहिए। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल से संबंधित कानूनी मुद्दे उठेंगे। इसके अलावा, अगर कोई सरकार अपने कार्यकाल के बीच में ही विश्वास खो देती है, तो चुनाव इस तरह से कराने होंगे कि व्यापक कार्यक्रम में व्यवधान न आए, जो एक तकनीकी चुनौती है जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष : एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव कई संभावित लाभ प्रदान करता है, जिसमें लागत बचत, बेहतर शासन स्थिरता और मतदाता थकान में कमी शामिल है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन के लिए कई संवैधानिक, तार्किक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करना होगा। जबकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों का समन्वय एक कुशल और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की तरह लग सकता है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य की विविधता, इसके जटिल कानूनी ढांचे और केंद्रीकरण के जोखिम पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसके प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने और भारतीय लोकतंत्र की जीवंत, बहुलवादी प्रकृति को संरक्षित करने के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा। अंतत:, इस महत्वाकांक्षी सुधार की व्यवहार्यता और व्यापक प्रभाव का परीक्षण करने के लिए गहन विचार-विमर्श, परामर्श और पायलट कार्यक्रमों को शामिल होना आवश्यक होगा।

–राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

खाजूवाला में सर्दी से युवक की मौत

बीकानेर, (निसं)। जिले के खाजूवाला में सर्दी से युवक की मौत का मामला सामने आया है। सफाईकर्मी काम के बाद वह बस स्टैंड पर ही सो गया था। उसके पास संभवत ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था।

मृतक के भाई बलकार सिंह ने खाजूवाला पुलिस में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई तरसेम सिंह (50) बस स्टैंड पर साफ-सफाई करके अपना जीवन-यापन करता था। रोडवेज बस स्टैंड पर बने शौचालय के पास रात गुजारता था। 31 दिसम्बर की रात वह शौचालय के पास सोया था। संभव है कि उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। एक जनवरी की सुबह लोगों ने उसे देखा, तब तक मौत हो चुकी थी।

■ सफाईकर्मी काम के बाद वह बस स्टैंड पर ही सो गया था, उसके पास संभवत ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था

हनीफ अली नागौरी नामक शख्स ने उसे सबसे पहले देखा था। वह अर्द्धनग्न अवस्था में ही चारपाई पर पड़ा था। मृतक तरसेम के भाई बलकार सिंह ने पुलिस को बताया कि सर्दी में ठिठुरन के चलते उसकी मौत हुई है। रात के समय वह बिना कपड़े पहने ही सो गया था। नशे की हालत में उसे पता भी नहीं चला कि सर्दी लग रही है। ऐसे में सर्दी से ठिठुरते हुए उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसका शव सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।

राशिफल शुक्रवार 3 जनवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, शुक्ल पक्ष, चतुरथी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:22 तक, वज्र योग दिन 12:37 तक, वणिज करण दिन 12:24 तक, चन्द्रमा दिन 10:48 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग रात्रि 11:22 तक है। भद्रा दिन 12:24 से रात्रि 11:40 तक रहेगी। आज विनायक चतुरथी है। पंचक दिन 10:48 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:38 तक, लाभ-अमृत 8:38 से 11:13 तक, शुभ 12:31 से 1:44 तक, चर 4:24 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:42

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ कार्यों से संबंधित यात्रा हो सकती है।

मिथुन
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है।

सिंह
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

कन्या
शुभ-मांगलिक कार्य के लिए यात्रा संभव है। परिवार में मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृश्चिक
परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

मकर
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नवीन कारोबारी योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल र